Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापित महोदय, राजस्थान में निवास करने वाले पांच करोड़ राजस्थानी, देश के अन्य भागों में और विदेशों में निवास करने वाले तीन करोड़ राजस्थानी इस बात से बहुत तकलीफ पा रहे हैं कि आजादी के 60 साल बाद भी राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया हैं। मैं उन दुर्भाग्यशाली सांसदों में से हूं जो अपनी मातृभाषा में इस सदन में अपने विचार पूकट नहीं कर सकते हैं। राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है, जो कि मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती को मिलाकर के बनी हैं। इसका बहुत पुराना लिटरेचर हैं। इस सदन में माननीय सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया हैं। मानसून सत् में गृह मंत्री जी ने इस सदन को आध्वासन भी दिया था कि भोजपुरी के साथ-साथ राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि शीतकालीन सत् भी चला गया हैं, लेकिन उस विधेयक को नहीं लाया गया हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आगृह करना चाढूंगा कि बजट सत् में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने वाला विधेयक लाकर के आठ करोड़ राजस्थानियों की आशा की पूर्ति की जाए। धन्यवाद।

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): I want to associate with the matter the hon. Member raised just now.

MR. CHAIRMAN: All right.

Dr. Manoj, your matter has already come up thrice. Today itself, it has been mentioned by two Members.

SHRI K.S. MANOJ (ALLEPPEY): I have some more points to state. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is about the demands of the insurance employees. This matter has been raised by many Members of Parliament. You can associate with them. Or else, just mention your point.

...(Interruptions)